पेटेन्ट

अस्वीकरण:- ***संभावित प्रश्नों के दिए गए उत्तर जनता के मार्गदर्शन हेतु हैं जिन्हें किसी कानूनी प्रक्रिया में उद्धरित नहीं किया जा सकता और इनका कोई कानूनी उद्देश्य नहीं होगा । प्रयोक्ताओं को नवीनतम शुल्क सूची सहित यथासंशोधित पेटेंट अधिनियम, 1970 और पेटेन्ट नियम, 2003 के प्रावधानों का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है।***

1. पेटेन्ट क्या है ?

पेटेन्ट सरकार द्वारा पेटेन्ट का आवेदन करने वाले को उसकी सहमति के बिना पेटेन्ट कराए गए उत्पाद बनाने, उपयोग करने, बेचने, आयात करने अथवा उन प्रयोजनों के लिए उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया का उपयोग करने से अन्य व्यक्तियों को रोकने के लिए उसके अविष्कार की पूरी जानकारी देकर एक सीमित समय अवधि के लिए एक अविष्कार हेतु दिए जाने वाला एक सांविधिक अधिकार है ।

2. क्या भारतीय पेटेन्ट पूरे विश्व में सुरक्षा देता है ?

पेटेन्ट सुरक्षा एक क्षेत्रीय अधिकार है और इसलिए यह केवल भारत के क्षेत्र के अंदर ही प्रभावी है । तथापि, भारत में आवेदन करने के बाद आवेदक भारत में आवेदन करने की दिनांक से बारह माह की अवधि समाप्त होने से पहले कन्वेंशन देशों में उसी अविष्कार के लिए एक संगत आवेदन कर सकता है । इसलिए जिन देशों में आवेदक को उसके अविष्कार की सुरक्षा की आवश्यकता है ऐसे प्रत्येक देश में उसे अलग-अलग पेटेन्ट प्राप्त करने चाहिए । कोई भी पेटेन्ट पूरे विश्व में वैध नहीं होता ।

3. क्या भारत में पेटेन्ट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत अंतर्राष्ट्रीय आवेदन करना संभव है ?

भारत में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली स्थित पेटेन्ट कार्यालयों में पीसीटी आवेदन के नाम से जाना जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय आवेदन करना संभव है । ये सभी कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए प्राप्ति कार्यालय (आरओ) के रूप में कार्य करते हैं । इन कार्यालयों के पते सीजीपीडीटीएम की वेबसाइट अर्थात www.ipindia.nic.in पर उपलब्ध हैं ।

4. किस-किस का पेटेन्ट करवाया जा सकता है ?

एक अविष्कार, जो किसी ऐसे उत्पाद अथवा प्रक्रिया से जुड़ा हो जो नया हो, जिसमें आविष्कारी प्रयास हों और जो औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु सक्षम हो, उसका पेटेन्ट करवाया जा सकता है । तथापि, ये आविष्कारों की उस श्रेणी में नहीं आना चाहिए जो अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत पेटेन्ट नहीं करवाए जा सकते ।

5. पेटेन्ट के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?

पेटेन्ट हेतु आवेदन सही एवं प्रथम अविष्कारक अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से किया जा सकता है । तथापि, किसी मृत व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि भी पेटेन्ट के लिए आवेदन कर सकता है ।

6. मैं पेटेन्ट के लिए आवेदन किस प्रकार कर सकता हूं ?

पेटेन्ट के लिए आवेदन अनुसूची I में निर्धारित शुल्क के साथ पूर्व अथवा अनंतिम विनिर्देश देते हुए भारतीय पेटेन्ट कार्यालय में किया जा सकता है । यदि आवेदन अनंतिम विनिर्देश के साथ किया गया है तो आवेदक को आवेदन करने की दिनांक से 12 माह के अंदर पूर्ण विनिर्देश देना होता है । उपर्युक्त अवधि पूरी होने के बाद पूर्ण विनिर्देश देने के लिए समय-सीमा को बढ़ाया नहीं जाता है ।

7. क्या ऑनलाइन प्रणाली द्वारा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से पेटेन्ट हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान है ?

भारतीय पेटेन्ट कार्यालय ने 20 जुलाई, 2007 से पेटेन्ट हेतु आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है । ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अधिक जानकारी पेटेन्ट कार्यालय की वेबसाइट अर्थात www.ipindia.nic.in पर उपलब्ध है । ये सुविधा ट्रेडमार्क आवेदन करने के लिए भी उपलब्ध है ।

8. पेटेन्ट कराने की पात्रता के लिए क्या मानदंड हैं ?

एक अविष्कार को पेटेन्ट योग्य विषय-वस्तु होने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होते हैं-

i) यह अभिनव होना चाहिए ।

ii) इसमें आविष्कारी प्रयास होने चाहिए अथवा यह स्वत: स्पष्ट नहीं होना चाहिए ।

iii) यह औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु सक्षम होना चाहिए ।

iv) यह पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 3 एवं 4 के प्रावधानों के तहत नहीं आना चाहिए ।

9. पेटेंट के लिए आवेदन अविष्कार का विवरण प्रकाशित होने से पहले किया जाना चाहिए अथवा बाद में ?

पेटेन्ट के लिए आवेदन अविष्कार को प्रकाशित किए जाने से पहले किया जाना चाहिए और तब तक इसे सार्वजनिक अथवा प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए । पेटेन्ट के लिए आवेदन करने से पहले प्रकाशन के माध्यम से अविष्कार के बारे में जानकारी देना अविष्कार की नवीनता के लिए हानिकारक हो सकता है चूंकि ऐसा संभव है कि ऐसे प्रकाशन के कारण इसे नवीन ना समझा जाए । तथापि कुछ शर्तों के अधीन प्रकाशन के बाद भी आवेदन करने के लिए 12 माह की रियायत अवधि होती है ।

10. क्या कोई अविष्कार प्रकाशन अथवा सार्वजनिक प्रदर्शनी में प्रदर्शन के बाद पेटेन्ट करवाया जा सकता है ?

सामान्य तौर पर जो अविष्कार या तो प्रकाशित किया जा चुका हो अथवा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा चुका हो, उसके लिए पेटेन्ट का आवेदन नहीं किया जा सकता । तथापि पेटेन्ट अधिनियम में अविष्कार के पेटेन्ट के आवेदन के लिए इसको किसी पत्रिका में प्रकाशित किए जाने अथवा सरकार द्वारा आयोजित किसी प्रदर्शनी में इसका सार्वजनिक प्रदर्शन करने अथवा किसी विद्वान सोसाइटी के समक्ष इसकी जानकारी देने अथवा आवेदक द्वारा इसे प्रकाशित किए जाने की दिनांक से 12 माह की रियायत

अवधि का प्रावधान किया गया है । विस्तृत शर्तें अधिनियम के अध्याय VI (धारा 29-34) के अंतर्गत दी गई हैं ।

11. पेटेन्ट का विनिर्देश किस प्रकार तैयार किया जाता है ?

पेटेन्ट का विनिर्देश आवेदक द्वारा स्वयं अथवा उसके पंजीकृत एवं अधिकृत एजेंट द्वारा तैयार किया जा सकता है । पेटेन्ट के विनिर्देश में सामान्यत: इसके तकनीकी क्षेत्र को दर्शाते हुए इसका शीर्षक, इसकी पूर्व जानकारी, पूर्व जानकारी में कमियां, पूर्व जानकारी की कमियों के निराकरण हेतु अविष्कारक द्वारा दिए गए समाधान, अविष्कार एवं इसकी उपयोगिता का एक संक्षिप्त परन्तु पर्याप्त विवरण, चित्र (यदि कोई हो) और इसकी कार्यशैली की सर्वश्रेष्ठ पद्धति का ब्यौरा शामिल होता है । पूर्ण विनिर्देश में अविष्कार की उस संभावना को परिभाषित करते हुए कम से कम एक दावा अथवा दावों का एक वक्तव्य जरूर होना चाहिए जिसकी सुरक्षा मांगी गई है ।

12. अनंतिम विनिर्देश क्या है ?

भारतीय पेटेन्ट कानून में पहले आवेदन करने की प्रणाली अपनाई गई है । अनंतिम विनिर्देश में अविष्कार की प्रकृति का ब्यौरा दिया जाता है जिससे आविष्कारी विचार की जानकारी लोगों को देने के लिए आवेदन करने की प्राथमिकता दिनांक ली जा सके । अनंतिम आवेदन करने के बाद 12 माह के अंदर दावों के वक्तव्य के साथ अविष्कार का ब्यौरा देते हुए पूर्ण विनिर्देश दिया जाना होगा । यदि पूर्ण विनिर्देश हेतु निर्धारित अवधि के अंदर आवेदन नहीं किया जाता तो आवेदन को छोड़ दिया गया माना जाएगा ।

13. क्या अनंतिम आवेदन करना आवश्यक है ?

सामान्यत: अनंतिम विनिर्देश के साथ किया गया आवेदन अनंतिम आवेदन के रूप में जाना जाता है जो कि आपके अविष्कार के लिए एक प्राथमिकता दिनांक स्थापित करने में उपयोगी है । इसके अतिरिक्त अनंतिम आवेदन करना उपयोगी है चूंकि इससे आवेदक को पूर्ण विनिर्देश का आवेदन करने से पहले उसके अविष्कार की बाजार क्षमता का आकलन एवं मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है । तथापि, अनंतिम विनिर्देश के साथ आवेदन करना आवश्यक नहीं है और कोई व्यक्ति पूर्ण विनिर्देश के साथ सीधे आवेदन कर सकता है ।

14. क्या पेटेन्ट कार्यालय अविष्कार की जानकारी को गोपनीय रखता है ?

जी, हां । पेटेन्ट के सभी आवेदन पेटेन्ट के लिए आवेदन करने की दिनांक अथवा प्राथमिकता दिनांक, जो भी पहले हो, से 18 माह तक गोपनीय रखे जाते हैं, और उसके बाद उन्हें पेटेन्ट कार्यालय की अधिकारिक पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है जो प्रत्येक सप्ताह प्रकाशित की जाती है और आईपीओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है । इसके प्रकाशन के बाद जनता इस दस्तावेज का निरीक्षण कर सकती है और निर्धारित शुल्क जमा कराके इसकी छाया प्रति भी प्राप्त कर सकती है ।

15. पेटेन्ट के लिए किया गया आवेदन कब प्रकाशित किया जाता है ?

पेटेन्ट के लिए किया गया प्रत्येक आवेदन पेटेन्ट हेतु आवेदन किए जाने की दिनांक अथवा प्राथमिकता दिनांक, जो भी पहले हो, से 18 माह के बाद प्रकाशित किया जाता है । तथापि, निम्नलिखित आवेदन प्रकाशित नहीं किए जाते ।

(क) आवेदन जिसमें गोपनीयता निर्देश लागू हों

(ख) आवेदन जो धारा 9(1) के अंतर्गत छोड़ दिया गया हो और

(ग) आवेदन जो 18 माह की अवधि से 3 माह पूर्व वापस ले लिया गया हो ।

16. क्या निर्धारित समय से पहले प्रकाशन के लिए कानून में कोई प्रावधान है ?

जी, हां, आवेदक निर्धारित शुल्क जमा करा कर फॉर्म 9 में पूर्व प्रकाशन का अनुरोध कर सकता है । ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के बाद पेटेन्ट कार्यालय ऐसे आवेदन को 1 माह की अवधि के अंदर प्रकाशित करता है बशर्ते कि अविष्कार परमाणु ऊर्जा अथवा रक्षा उद्देश्य से संबंधित न हो ।

17. क्या एक बार पेटेन्ट के लिए आवेदन करने पर स्वत: इसकी जांच की जाती है ?

पेटेन्ट आवेदन किए जाने पर इसकी स्वत: जांच नहीं की जाती । जांच केवल या तो आवेदक द्वारा अथवा तीसरे पक्ष द्वारा जांच का अनुरोध प्राप्त होने के बाद की जाती है ।

18. जांच का अनुरोध कब किया जा सकता है ?

जांच के लिए अनुरोध प्राथमिकता दिनांक अथवा आवेदन किए जाने की दिनांक, जो भी पहले हो, से 48 माह की अवधि में किया जा सकता है । विस्तृत जानकारी के लिए कृपया 2006 तक संशोधित पेटेन्ट नियम, 2003 का नियम 24ख देखें ।

19. क्या पूर्व जांच का कोई प्रावधान है ?

पूर्व जांच का अनुरोध किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । आवेदनों की जांच उसी क्रम में की जाती है जिस क्रम में जांच के लिए अनुरोध किए जाते हैं । तथापि निर्धारित शुल्क का भुगतान करके राष्ट्रीय चरण आवेदक के रूप में पेटेन्ट सहयोग संधि के अंतर्गत किए गए आवेदनों के संबंध में 31 माह की अवधि पूरी होने से पहले जांच के लिए एक त्वरित अनुरोध किया जा सकता है ।

20. एक पेटेन्ट आवेदन की जांच किए जाने के बाद इसका क्या होता है ?

जांच के बाद पेटेन्ट कार्यालय आवेदक को एक जांच रिपोर्ट जारी करता है जिसे सामान्यत: प्रथम जांच रिपोर्ट (एफईआर) के रूप में जाना जाता है । तत्पश्चात आवेदक को एफईआर की दिनांक से बारह माह की अवधि में सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है । यदि आवेदन पेटेंट जारी किए जाने के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो पेटेन्ट जारी कर दिया जाता है बशर्ते कि पेटेन्ट देने से पहले कोई विरोध दर्ज न कराया गया हो अथवा लंबित न हो । पेटेन्ट होने के संबंध में आवेदक को एक पत्र जारी किया जाता है । तथापि, यदि पेटेन्ट देने से पहले कोई विरोध लंबित है तो पेटेन्ट-पूर्व विरोध के निपटान के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है ।

21. जब आवेदक निर्धारित समय के अंदर आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पाता तो उस स्थिति में क्या होता है ?

यदि आवेदक 12 माह के अंदर आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता अथवा कथित अवधि के अंदर उसे अनुपालना हेतु भेजे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता तो आवेदन को परित्यक्त माना जाता है ।

22. क्या 12 माह की समय-सीमा में विस्तार का कोई प्रावधान है ?

12 माह की समय-सीमा में विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है ।

23. क्या आवेदक का आवेदन निरस्त करने से पहले उसे अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है ?

यदि आवेदक ने निर्धारित समय के अंदर आवश्यकताएं पूरी नहीं की हैं और आवेदक द्वारा सुनवाई हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया है तो नियंत्रक द्वारा उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने की संभावना नहीं है । तथापि नियंत्रक, आवेदक का आवेदन निरस्त करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देगा यदि आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त होने से कम से कम 10 दिन पहले ऐसी सुनवाई का अनुरोध किया गया हो ।

24. पेटेन्ट दिए जाने की प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन से हैं ?

पेटेन्ट देने के लिए आवेदन करने के बाद आवेदक द्वारा अथवा तीसरे पक्ष द्वारा जांच के लिए अनुरोध किए जाने की आवश्यकता होती है और तत्पश्चात पेटेन्ट कार्यालय द्वारा इसकी जांच की जाती है । सामान्यत: प्रथम जांच रिपोर्ट जारी की जाती है और आवेदक को कथित रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों के समाधान हेतु कमियों को पूरा करने का अवसर दिया जाता है । आवेदक को निर्धारित समय में आवश्कताएं पूरी करनी चाहिए अन्यथा उसका आवेदन परित्यक्त माना जाएगा । जब सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, पेटेन्ट जारी कर दिया जाता है और इसे पेटेंट कार्यालय की पत्रिका में अधिसूचित कर दिया जाता है । तथापि पेटेन्ट जारी किए जाने से पहले और आवेदन के प्रकाशन के बाद कोई भी व्यक्ति पेटेन्ट-पूर्व आपत्ति दर्ज करा सकता है ।

25. पेटेन्ट-पूर्व आपत्ति हेतु अभ्यावेदन देने की समय-सीमा क्या है ?

पेटेन्ट-पूर्व आपत्ति हेतु अभ्यावेदन धारा 11क के अंतर्गत आवेदन के प्रकाशन की दिनांक से छ: माह के भीतर अथवा पेटेन्ट दिए जाने से पहले दिया जा सकता है । अभ्यावेदन दिए जाने के आधार पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 25(1) के अंतर्गत दिए गए हैं ।

26. क्या पेटेन्ट-पूर्व आपत्ति हेतु अभ्यावेदन देने के लिए कोई शुल्क है ?

पेटेन्ट-पूर्व आपत्ति हेतु अभ्यावेदन देने के लिए कोई शुल्क नहीं है । यह किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है ।

27. पेटेन्ट-पूर्व आपत्ति हेतु अभ्यावेदन देने के आधार क्या हैं ?

पेटेन्ट-पूर्व आपत्ति हेतु अभ्यावेदन देने के आधार पेटेन्ट अधिनियम 1970 की धारा 25(1) में दिए गए हैं ।

28. क्या जांच के लिए अनुरोध न किए जाने की स्थिति में भी पेटेन्ट-पूर्व आपत्ति हेतु आवेदन किया जा सकता है ?

जी, हां, जांच के लिए अनुरोध न किए जाने की स्थिति में भी पेटेन्ट-पूर्व आपत्ति हेतु आवेदन किया जा सकता है । तथापि, अभ्यावेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब निर्धारित अवधि के अंदर जांच हेतु अनुरोध प्राप्त होगा ।

29. पेटेन्ट कार्यालय में पेटेन्ट-पश्चात आपत्ति हेतु आवेदन करने के लिए क्या समय-सीमा है ?

पेटेन्ट-पश्चात आपत्ति हेतु आवेदन करने के लिए समय पेटेन्ट कार्यालय की अधिकारिक पत्रिका में पेटेन्ट जारी किए जाने के प्रकाशन की दिनांक से 12 माह है ।

30. क्या पेटेन्ट-पश्चात आपत्ति हेतु आवेदन करने के लिए कोई शुल्क है ?

पेटेन्ट-पश्चात आपत्ति हेतु आवेदन निर्धारित फॉर्म 7 में स्वभाविक व्यक्ति द्वारा 1500/- रूपए के और स्वभाविक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा 6000/- रूपए के निर्धारित शुल्क के साथ किया जाना होता है । पेटेन्ट-पश्चात आपत्ति हेतु आवेदन अविष्कार से संबंधित व्यक्ति द्वारा किया जाना होता है न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।

31. पेटेन्ट-पश्चात आपत्ति हेतु आवेदन करने के आधार क्या हैं ?

पेटेन्ट पश्चात आपत्ति हेतु आवेदन करने के आधार पेटेन्ट अधिनियम 1970 की धारा 25(2) में दिए गए हैं ।

32. क्या पेटेन्ट आवेदन से संबंधित किसी कार्य के लिए लेन-देन हेतु भारतीय पेटेन्ट कार्यालय में जाना आवश्यक है ?

नहीं, सामान्यत: कार्यालय के साथ सभी संपर्क पत्राचार के माध्यम से किए जाते हैं । तथापि, पेटेन्ट आवेदन के संबंध में जांचकर्ताओं के साथ अभियोग चरण के दौरान साक्षात्कार किसी भी कार्य दिवस पर पूर्व-अनुमति से किया जा सकता है ।

33. पेटेन्ट के लिए आवेदन संबंधी सूचना कहां अधिसूचित की जाती है ?

पेटेन्ट के लिए आवेदन संबंधी सूचना प्रत्येक शुक्रवार को जारी की जाने वाली पेटेन्ट कार्यालय की पत्रिका में प्रकाशित की जाती है ।

34. पेटेन्ट कार्यालय की पत्रिका की विषय-सामग्री क्या होती है ?

पेटेन्ट कार्यालय की पत्रिका में धारा 11क के अंतर्गत प्रकाशित की जाने वाली पेटेन्ट आवेदनों संबंधी सूचना, पेटेन्ट-पश्चात प्रकाशन, पेटेन्ट की पुन: प्राप्ति, अधिसूचनाएं, सूचकांक, निष्क्रिय पेटेन्ट की सूची और पेटेन्ट से संबंधित पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी नोटिस आदि होते हैं ।

35. क्या कोई व्यक्ति पेटेन्ट कार्यालय की पत्रिका की प्रति का ग्राहक बन सकता है ?

400/- रूपए नकद अथवा पेटेन्ट नियंत्रक के नाम से डीडी/चैक द्वारा भुगतान करके पेटेन्ट कार्यालय की पत्रिका का ग्राहक बना जा सकता है । यह सीडी के रूप में भी उपलब्ध है । तथापि, पत्रिका का वेबसाइट से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है ।

36. पेटेन्ट कार्यालय की पत्रिका खरीदे बिना कहां प्राप्त की जा सकती है ?

पेटेन्ट कार्यालय की पत्रिका पेटेन्ट कार्यालय की वेबसाइट अर्थात www.ipindia.nic.in पर नि:शुल्क उपलब्ध है । यह पेटेन्ट कार्यालयों के तकनीकी पुस्तकालयों में भी उपलब्ध है । पुस्तकालय की सुविधा जनता को अवकाश के दिनों के अतिरिक्त सोमवार से शुक्रवार तक कार्य दिवस पर नि:शुल्क उपलब्ध है ।

37. क्या कोई व्यक्ति ''पेटेन्ट लंबित'' अथवा ''पेटेन्ट के लिए आवदेन किया गया है'' शब्दों का प्रयोग कर सकता है ?

इन शब्दों का प्रयोग सामान्यत: पेटेन्ट आवेदक द्वारा पेटेन्ट हेतु आवेदन करने के बाद उसके उत्पादों के लिए किया जाता है जिससे जनता को इस बात की जानकारी हो कि उस अविष्कार के संबंध में पेटेन्ट आवेदन किया गया है । जहां पेटेन्ट के लिए आवेदन नहीं किया गया है वहां इन शब्दों का प्रयोग पेटेन्ट कानून के अंतर्गत बाधित है । तथापि, पेटेन्ट आवेदक द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग तीसरे पक्ष द्वारा स्वयं को निर्दोष कहे जाने में नहीं रोक सकता जब तक कि पेटेन्ट संख्या का उल्लेख नहीं किया जाए ।

38. पेटेन्ट मिलने से पहले उत्पाद पर ''पेटेन्ट लंबित'' अथवा ''पेटेन्ट हेतु आवेदन किया गया है'' लिखना कितना उपयोगी है ?

पेटेन्ट हेतु आवेदन करने के बाद उत्पाद पर ''पेटेन्ट लंबित'' अथवा ''पेटेन्ट हेतु आवेदन किया गया है'' जैसे शब्द लिखना जनता के लिए एक सूचना होती है कि उस उत्पाद के लिए पेटेन्ट का आवेदन पेटेन्ट कार्यालय में लंबित है परंतु इन शब्दों का कोई कानूनी महत्व नहीं है । उल्लंघन हेतु कार्रवाई पेटेन्ट दिए जाने के बाद ही शुरू की जा सकती है ।

39. क्या पेटेन्ट कार्यालय पेटेन्ट के लिए प्रयोक्ता ढूंढ़ने में सहायता करता है ?

पेटेन्ट के व्यापारीकरण में पेटेन्ट कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है । तथापि, पेटेन्ट से संबंधित सूचना पेटेन्ट कार्यालय की पत्रिका में प्रकाशित की जाती है और पेटेन्ट कार्यालय की बेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाती है जिसे पूरे विश्व की जनता देख सकती है । इससे निश्चित तौर पर आवेदक को संभावित प्रयोक्ता अथवा अनुज्ञप्तिधारी को आकर्षित करने में सहायता मिलती है । पेटेन्ट कार्यालय ऐसे पेटेन्ट की एक सूची भी संकलित करता है जिनका भारत में व्यापारिक प्रयोग नहीं किया जाता ।

40. किसी व्यक्ति को यह कैसे पता चलेगा कि एक अविष्कार का पेटेंट करा लिया गया है ?

सम्बंधित व्यक्ति जारी किये गये पेटेंट के भारतीय पेटेंट आंकड़ा आधार में पेटेंट कार्यालय की वेबसाइट पर अथवा प्रति सप्ताह प्रकाशित होने वाली पेटेंट कार्यालय पत्रिका में अथवा पेटेंट कार्यालय खोज और संदर्भ कक्ष, जिसमें भार्तीय पेटेंट अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार और क्रम संख्या में भी दिये जाते हैं, में रखे जाने वाले दस्तावेजों में खोज कर एक प्रारंभिक खोज कर सकता है ।यह राजपत्रित अवकाश को छोड़ कर सोमवार से शुक्रवार तक आम जनता के लिये खुला रहता है । आम जनता पेटेंट कार्यालय की वेबसाइट पर नि:शुल्क खोज भी कर सकती है । सम्बंधित व्यक्ति एसी सूचना के लिये अधिनियम की धारा 153 के तहत अनुरोध भी कर सकता है ।

41. पेटेन्ट की अवधि क्या है ?

भारत में प्रत्येक पेटेन्ट की अवधि पेटेन्ट हेतु आवेदन करने की दिनांक से 20 वर्ष है, चाहे पेटेन्ट हेतु आवेदन अनंतिम विनिर्देश के साथ किया गया हो अथवा पूर्ण विनिर्देश के साथ । तथापि, पीसीटी के तहत किए गए आवेदनों के मामले में 20 वर्ष की अवधि अंतर्राष्ट्रीय आवेदन करने की दिनांक से शुरू होती है ।

42. क्या पेटेन्ट हेतु आवेदन करने के लिए एक व्यक्ति अथवा एक वैध इकाई द्वारा दिए जाने वाले शुल्क की राशि में कोई अंतर है ?

हां, पेटेन्ट हेतु आवेदन करने का शुल्क 10 दावों एवं 30 पृष्ठ तक एक व्यक्ति (स्वभाविक व्यक्ति) के लिए 1,000/- रूपए है और उस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी वैध इकाई के लिए 4,000/- रूपए है । तथापि,यदि पृष्ठों की संख्या 30 से अधिक हो तो स्वभाविक व्यक्ति को प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 100/- रूपए और उस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को 400/- रूपए प्रति पृष्ठ का भुगतान करना होता है । इसी प्रकार यदि दावों की संख्या 10 से अधिक हो तो मूल व्यक्ति को प्रत्येक अतिरिक्त दावे के लिए 200/- रूपए का भुगतान करना होगा और उस व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्येक अतिरिक्त दावे के लिए 800/- रूपए का भुगतान करना होगा ।

43. पेटेन्ट मिलने के बाद पेटेन्टधारी पर क्या बाध्यताएं होती हैं ?

पेटेन्ट मिलने के बाद प्रत्येक पेटेन्टधारी को प्रत्येक वर्ष अनुसूची **I** में निर्धारित नवीकरण शुल्क का भुगतान करके पेटेन्ट को बनाए रखना होता है । पहले दो वर्ष के लिए कोई नवीकरण शुल्क नहीं है । नवीकरण शुल्क तीसरे वर्ष से देना होता है । नवीकरण शुल्क का भुगतान न किए जाने की स्थिति में पेटेन्ट समाप्त कर दिया जाएगा ।

44. क्या पेटेन्टधारी नवीकरण शुल्क का भुगतान एकमुश्त कर सकता है अथवा उसे यह शुल्क प्रति वर्ष देना होगा ?

पेटेन्टधारी के पास प्रत्येक वर्ष नवीकरण शुल्क का भुगतान करने का विकल्प होता है अथवा वह यह राशि एकमुश्त भी जमा कर सकता है ।

45. एक पेटेन्ट समाप्त किए जाने के बाद इसे कब पुन: प्राप्त किया जा सकता है ?

पेटेन्ट पुन: प्राप्त करने के अनुरोध का आवेदन पेटेन्ट समाप्त किए जाने की दिनांक से 18 माह के अंदर निर्धारित शुल्क के साथ किया जा सकता है । अनुरोध प्राप्त होने के बाद अनुरोध की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मामले को अधिकारिक पत्रिका में अधिसूचित किया जाता है ।

46. पेटेन्ट एजेन्ट का क्या अर्थ है और एक पेटेन्ट एजेन्ट बनने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं ?

एक पेटेन्ट एजेन्ट भारतीय पेटेन्ट कार्यालय में पंजीकृत व्यक्ति होता है जिसका नाम पेटेन्ट कार्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली पेटेन्ट परीक्षा में उतीर्ण घोषित किए जाने के बाद पेटेन्ट एजेन्ट रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और जो निम्न के लिए पात्र होगा -

(क) नियंत्रक के समक्ष कार्य करने के लिए ; और

(ख) सभी दस्तावेज तैयार करने, पूरे व्यापार का लेन-देन करने और इस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक के समक्ष किसी कार्रवाई के संबंध में निर्धारित ऐसे अन्य कार्य करने के लिए ।

पेटेन्ट एजेन्टों के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता शर्तें.**-**

एक व्यक्ति पेटेन्ट एजेन्ट के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र होगा यदि वह निम्न शर्तें पूरी करता हो-

(क) वह भारत का नागरिक हो ;

(ख) वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ;

(ग) उसके पास भारत के क्षेत्र में उस समय लागू कानून के अंतर्गत स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान, अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी में एक डिग्री हो अथवा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य समतुल्य डिग्री हो,

और, इसके अतिरिक्त -

(i) इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अर्हता परीक्षा उतीर्ण कर चुका हो ।

(ii) कुल दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक परीक्षक के रूप में कार्य कर चुका हो अथवा धारा 73 के अंतर्गत नियंत्रक का कार्य कर चुका हो अथवा दोनों कार्य कर चुका हो, परन्तु अब ऐसे किसी पद पर न हो ।

47. क्या पेटेन्ट हेतु आवेदन करने के लिए एक पंजीकृत पेटेन्ट एजेन्ट की सेवाएं लेना अनिवार्य है ?

नहीं, पेटेन्ट कानून के अंतर्गत पेटेन्ट हेतु आवेदन करने के लिए एक पंजीकृत पेटेन्ट एजेन्ट की सेवाएं लेना अनिवार्य नहीं है । आवेदक स्वयं अथवा पेटेन्ट एजेन्ट के माध्यम से आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है । तथापि, वह आवेदक जो भारत का नागरिक नहीं है उसे पंजीकृत पेटेन्ट एजेन्ट के माध्यम से आवेदन करना होता है अथवा उसे भारत में सेवा के लिए पता देना होगा ।

48. क्या पेटेन्ट कार्यालय पेटेन्ट ढूंढने के लिए अथवा पेटेन्ट आवेदन तैयार करने और इसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक पेटेन्ट एटॉर्नी अथवा एजेन्ट का चयन करने में सहायता करता है ?

नहीं, पेटेन्ट कार्यालय एक पेटेन्ट एजेन्ट के चयन के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करता । तथापि, आवेदक कार्यालय द्वारा रखी जाने वाली पेटेन्ट एजेन्टों की सूची में से किसी पेटेन्ट एजेन्ट को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं । यह सूची पेटेन्ट कार्यालय की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है ।

49. क्या पेटेन्ट कार्यालय पेटेन्ट एजेन्टों द्वारा उनकी सेवाओं हेतु लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करता है ?

नहीं । यह आवेदक और पेटेन्ट एजेन्ट के बीच का मामला होता है। पेटेन्ट एजेन्ट द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करने अथवा इसमें सहयोग करने में पेटेन्ट कार्यालय की कोई भूमिका नहीं होती।

50. क्या भारत के बाहर अथवा विदेश में पेटेन्ट हेतु आवेदन करने के लिए पेटेन्ट कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है ?

सामान्यत: निम्न परिस्थितियों में विदेश में पेटेन्ट हेतु आवेदन करने के लिए पेटेन्ट कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है ।

(क) आवेदक भारतीय निवासी न हो और अविष्कार विदेश में हुआ हो ।

(ख) यदि आवेदक भारतीय निवासी है, भारत में पेटेन्ट हेतु आवेदन कर दिया गया है और आवेदन की दिनांक से छ: सप्ताह की अवधि पूरी हो चुकी है ।

(ग) अविष्कार परमाणु ऊर्जा अथवा रक्षा उद्देश्य से संबंधित न हो ।

अन्य परिस्थितियों में पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है । और अधिक जानकारी के लिए कृपया पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 39 का संदर्भ लें ।

51. किन परिस्थितियों के तहत पेटेन्ट कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है ?

एक व्यक्ति को निम्न परिस्थितियों में पेटेन्ट कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है ।

(क) आवेदक भारत का निवासी हो और अविष्कार भारत में किया गया हो ,

(ख) आवेदक विदेश में पेटेन्ट हेतु आवेदन करने से पहले भारत में आवेदन नहीं करना चाहता ।

(ग) यदि आवेदक भारतीय निवासी है, भारत में पेटेन्ट हेतु आवेदक कर दिया गया है और आवेदन की दिनांक से छ: सप्ताह की अवधि पूरी न हुई हो ।

(घ) अविष्कार परमाणु ऊर्जा अथवा रक्षा उद्देश्य से संबंधित हो ।

52. क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यासी प्राधिकरण में जैविक सामग्री जमा कराना अनिवार्य है ?

यदि अविष्कार में ऐसी जैविक सामग्री का प्रयोग किया जाता है जो नई है, तो विवरण की वैधता के लिए भारत में आवेदन करने से पहले इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यासी प्राधिकरण (आईडीए) में जमा कराना अनिवार्य है । विनिर्देश में दिए गए विवरण में अंतर्राष्ट्रीय न्यासी प्राधिकरण का नाम एवं पता और जैविक सामग्री जमा किए जाने की दिनांक और संख्या दी जानी चाहिए । यदि ऐसी जैविक सामग्री पहले से मौजूद है तो ऐसे मामले में इसे जमा किया जाना आवश्यक नहीं है । और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.ipindia.nic.in देखें ।

53. क्या भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यासी प्राधिकरण है ?

हां, भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी प्राधिकरण है जो चंडीगढ़ में स्थित है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलोजी (आईएमटीईसीएच) के नाम से जाना जाता है । इस न्यासी प्राधिकरण के संबंध में और अधिक जानकारी इसकी वेबसाइट http://imtech.res.in पर प्राप्त की जा सकती है ।

अभिकल्प (डिज़ाइन)

सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नएवं उत्तर

प्रश्न. 1. बौद्धिक संपत्ति का क्या अर्थ है ?

उत्तर. बौद्धिक संपत्ति का अर्थ बौद्धिक योग्यता से सृजित की गई संपत्ति है । अत: बौद्धिक संपत्ति का अभिप्राय मास्तिष्क के सृजन से है जैसे औद्योगिक वस्तुओं का अविष्कार, अभिकल्प (डिज़ाइन) तैयार करना, साहित्यिक, कलात्मक कार्य, चिह्न जिनका अंतत: वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है । बौद्धिक संपत्ति अधिकार सृजकों अथवा स्वामियों को उनके कार्यों का वाणिज्यिक उपयोग किए जाने पर उन्हे लाभ प्राप्त करने का हक प्रदान करते हैं । ये अधिकार सांविधिक अधिकार हैं जिनका परस्पर विधानों के अनुसार अनुपालन किया जाता है । बौद्धिक संपत्ति अधिकार सृजनता तथा मानव प्रयासों को लाभान्वित करता है जिससे मानवता को बढ़ावा मिलता है । बौद्धिक संपत्ति को सात श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात (1) पेटेंट (2) औद्योगिक अभिकल्प (डिज़ाइन) (3) ट्रेड मार्क (4) कापीराईट (5) भौगोलिक संकेत (6) समेकित सर्किटों के रेखाचित्र अभिकल्प (डिज़ाइन) (7) टीआरआईपी के समझौतों के अनुसार अघोषित सूचना/व्यापार गोपनीयता का संरक्षण ।

प्रश्न.2. अभिकल्प (डिज़ाइन) अधिनियम, 2000 के तहत 'अभिकल्प (डिज़ाइन)' का क्या अर्थ है ?

उत्तर. 'अभिकल्प (डिज़ाइन)' का अर्थ किसी हस्तचालित अथवा यांत्रिक अथवा रासायनिक, पृथक अथवा संयुक्त औद्योगिक प्रक्रिया अथवा साधन द्वारा किसी वस्तु को बनाने में अनुप्रयोग होने वाले विशेष आकार, आकृति, प्रतिमान अथवा आभूषण रेखाओं अथवा रंगों का द्वि-आयामी, त्रि-आयामी अथवा दोनों का संयोजन होता है जो पूरा होने पर आकर्षक लगता है पंरतु जिसमे कोई प्रक्रिया अथवा सिद्धांत अथवा निर्माण अथवा कोई यांत्रिक उपकरण मात्र शामिल नहीं होगा तथा ट्रेड एवं मर्चेन्डाईज मार्क्स अधिनियम 1958 की धारा 2 की उपधारा के खंड (v) में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार इसमें कोई ट्रेडमार्क तथा कापीराईट अधिनियम 1957 की धारा 2(ग) के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार संपत्ति चिह्न अथवा कलाकृति को शामिल नहीं किया जाता है ।

प्रश्न. 3. अभिकल्प (डिज़ाइन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत वस्तु का क्या अर्थ है ?

उत्तर. अभिकल्प (डिज़ाइन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत ''वस्तु'' का अभिप्राय: कोई निर्माण की जाने वाली वस्तु तथा कोई कृत्रिम अथवा आंशिक रूप से कृत्रिम तथा आंशिक रूप से प्राकृतिक पदार्थ से है तथा इसमें वस्तु का कोई अलग से बनाया और बेचा जाने वाला हिस्सा भी शामिल होता है ।

प्रश्न. 4. अभिकल्पों का पंजीकरण करने का क्या उद्देश्य है ?

उत्तर. अभिकल्प (डिज़ाइन) अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक प्रक्रिया अथवा साधनों द्वारा उत्पादन किए जाने वाली किसी विशेष वस्तु में प्रयुक्त अथवा अनुप्रयोग किए जाने के लिए निर्मित नए अथवा मूल अभिकल्पों की

सुरक्षा करना है । कभी कभी इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुओं की खरीद न केवल व्यवहारिक दक्षता बल्कि उनके रूप रंग से भी प्रभावित होती है । अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण का विशेष उद्देश्य सुन्दर रूप रंग के अभिकल्प (डिज़ाइन) को तैयार करने वाले मिस्त्री, सृजक, प्रतिपादक को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी वस्तुओं में अनुप्रयोग करने पर उनके वास्तविक लाभ से वंचित न होने देना है ।

प्रश्न. 5. अभिकल्प (डिज़ाइन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 'अभिकल्प (डिज़ाइन)' के पंजीकरण हेतु क्या अपेक्षित आवश्यकताएं हैं ?

उत्तर. (1) अभिकल्प (डिज़ाइन) नया अथवा वास्तविक होना चाहिए जिसके पंजीकरण की तिथि से पूर्व किसी देश में इसका पहले प्रकाशन अथवा उपयोग न किया गया हो । नयापन किसी जानी पहचानी आकृति अथवा प्रतिमान की नई विषय वस्तु के अनुप्रयोग में हो सकता है । वास्तविक उदाहरण के तौर पर:-

एक सिगरेट होल्डर के निर्माण में "कुतुब मीनार" की जानी-पहचानी आकृति के अनुप्रयोग करने का पंजीकरण किया जा सकता है, तथापि, यदि अभिकल्प (डिज़ाइन) के अनुप्रयोग की संकल्पना में कोई वास्तविक मानसिक कार्यकलाप शामिल न हो तो पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए ।

(2) अभिकल्प (डिज़ाइन) किसी वस्तु में प्रयुक्त अथवा अनुप्रयोग होने वाली आकृति, आकार, प्रतिमान अथवा साज सज्जा सं संबंधित होता है । अत: अधिनियम के तहत औद्योगिक योजनाओं, विन्यासों तथा संस्थापनाओं का पंजीकरण नहीं हो सकता है । (3) अभिकल्प (डिज़ाइन) को किसी औद्योगिक प्रक्रिया के तहत किसी वस्तु पर लागू अथवा अनुप्रयुक्त किया जाना चाहिए । सामान्यत: अधिनियम के अंतर्गत पेटिंग, मूर्ति कला जैसी कलाकृतियों तथा अन्य जिन्हें किसी औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा अधिक मात्रा में उत्पादित नहीं किया जाता है, के अभिकल्पों का पंजीकरण नहीं किया जाता है । (4) पूर्ण रूप से तैयार वस्तु के अभिकल्प (डिज़ाइन) की विशेषताओं को देखने मे अच्छा लगना चाहिए । इसका अर्थ यह है कि तैयार वस्तु का अभिकल्प (डिज़ाइन) इसके उद्देश्य के अनुसार भलि-भांति दिखाई देना चाहिए । अत: किसी बक्से, बटुए अथवा अलमारी के भीतर के अभिकल्प (डिज़ाइन) को माना नहीं जा सकता है क्योंकि इन वस्तुओं को खोलकर नहीं दिखाया जाता तथा इन वस्तुओं को सामान्यत: बाजार में बन्द करके रखा जाता है । (5) कोई निर्माण अथवा प्रचालन की विधि अथवा सिद्धांत अथवा किसी यांत्रिक उपकरण मात्र के अभिकल्प (डिज़ाइन) का पंजीकरण नहीं किया जाएगा । उदाहरण के तौर पर एक ऐसी चाबी जिसके केवल आकार में लहरदार होने अथवा ताले के लीवर में प्रवेश होने वाले अग्रभाग का मुड़ा होने के नएपन के कारण इसका अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण नहीं किया जा सकता है । तथापि, किसी अभिकल्प (डिज़ाइन) के तरीके अथवा निर्माण के सिद्धांत अथवा यांत्रिक अथवा प्रक्रिया के अन्य तंत्र के उल्लेख में एक समुचित प्रत्याख्यान दिया जाना चाहिए बशर्ते इस अभिकल्प (डिज़ाइन) में अन्य पंजीकरण संबंधी विशेषताएं होनी चाहिए । (6) कापीराईट अधिनियम 1957 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार अभिकल्प (डिज़ाइन) में किसी ट्रेडमार्क अथवा सम्पति मार्क अथवा कलाकृति को शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

प्रश्न. 6. क्या स्टैम्प, लेबल, टोकन, कार्डों के अभिकल्प (डिज़ाइन) को पंजीकरण करने की वस्तु माना जा सकता है ?

उत्तर. नहीं यदि कथित अभिकल्प (डिज़ाइन) में एक कागज के टुकड़े से साज-सज्जा को हटा दिया जाए तो धातु अथवा तत्संबंधी सामग्री शेष रह जाती है तथा उल्लिखित वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है । वस्तु पर उसके

अभिकल्प (डिज़ाइन) के बिना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए । (पंजाब उच्च न्यायालय के सिविल वास्तविक मुकदमा सं. 9-डी, 1963 के विषय में दिए गए आदेश में लेबल के अभिकल्प (डिज़ाइन) को पंजीकरण योग्य नहीं माना गया था) अत: वस्तु का अभिकल्प (डिज़ाइन) उस वस्तु का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए ।

प्रश्न. 7. अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण का पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवेदक को कब प्राप्त होता है ?

उत्तर. जब अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण का आवेदन समुचित पाया जाता है तो इसे स्वीकृत करके पंजीकृत किया जाता है तथा आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।
तथापि, कानूनी कार्यवाही हेतु प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए नियंत्रक के समक्ष अपेक्षित शुल्क सहित एक अलग आवेदन करना होगा ।

प्रश्न. 8. अभिकल्पों के रजिस्टर से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:- अभिकल्पों का रजिस्टर पेटेंट कार्यालय, कोलकाता द्वारा एक सांविधिक आवश्यकता के रूप में रखा जाने वाला एक दस्तावेज है । इसमें अभिकल्प (डिज़ाइन) संख्या, वर्ग सं., फाईल करने की तिथि (इस देश में) तथा विनियम की तिथि (यदि कोई हो), स्वामी का नाम एवं पता तथा अभिकल्प (डिज़ाइन) के स्वामित्व की वैधता को प्रभावित करने वाले ऐसे अन्य मामलों का उल्लेख किया जाता है तथा निर्धारित शुल्क अदा करने पर इसकी सार्वजनिक जांच की जा सकती है तथा निर्धारित शुल्क सहित अनुरोध करने पर रजिस्टर से सूचना की प्रति भी प्राप्त की जा सकती है ।

प्रश्न. 9. अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण से क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर:- अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण से पंजीकृत स्वामी को पंजीकरण की अवधि तक अभिकल्प का कापीराईट प्रदान किया जाता है । 'कापीराईट' का अर्थ पंजीकृत वर्ग से संबंधित वस्तु के अभिकल्प (डिज़ाइन) को लागू करने का विशेष अधिकार देना है ।

प्रश्न. 10. अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण की कितनी अवधि होती है ? क्या इसे बढ़ाया जा सकता है ?

उत्तर:- प्रारंभ में अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण की अवधि पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष होती है, परंतु ऐसे मामले जहां प्राथमिकता के दावे की अनुमति हो वहां यह अवधि प्राथमिकता की तिथि से दस वर्ष की होती है ।

कापीराईट की प्रारंभिक समय सीमा के समाप्त होने से पहले नियंत्रक को 2000/- रू. के शुल्क सहित फार्म-3 मे आवेदन भेज कर पंजीकरण की प्रारंभिक समय सीमा को आगे 5 वर्ष तक बढ़वाया जा सकता है ।

अभिकल्प (डिज़ाइन) का स्वामी इसका पंजीकरण होते ही ऐसी समयावधि को बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रश्न. 11. पंजीकरण की क्या तिथि होती है ?

उत्तरः- प्राथमिकता के मामले को छोड़कर पंजीकरण की तिथि आवेदन प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि होती है । प्राथमिकता वाले अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण के मामले में पंजीकरण की तिथि परस्पर देश में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि होती है ।

प्रश्न. 12. क्या यह संभव है कि वे अभिकल्प (डिज़ाइन) जिनका कापीराईट समाप्त हो गया है, को पुन: पंजीकृत किया जा सकता है ?

उतरः- नहीं । वे पंजीकृत अभिकल्प (डिज़ाइन) जिनका कापीराईट समाप्त हो चुका है उनका पुन: पंजीकरण नहीं किया जा सकता है ।

प्रश्न. 13. यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी अभिकल्प (डिज़ाइन) का पंजीकरण विद्यमान है ?

उत्तरः- यह पता लगाने के लिए कि किसी अभिकल्प (डिज़ाइन) का पंजीकरण विद्यमान है, पेटेंट कार्यालय कोलकाता में आवेदन भेजा जाना चाहिए । यदि पंजीकृत अभिकल्प (डिज़ाइन) की क्रम सं. का पता हो तो निवेदन फार्म 6 में अन्यथा फार्म 7 में भर कर क्रमश: 500/- रू.. अथवा 1000/- रू.. के शुल्क सहित भेजा जाना चाहिए । ऐसी प्रत्येक अर्जी केवल एक अभिकल्प (डिज़ाइन) की सूचना तक सीमित होनी चाहिए ।

प्रश्न. 14. अभिकल्प (डिज़ाइन) की पाइरेसी से क्या अभिप्राय है ?

उत्तरः- अभिकल्प (डिज़ाइन) की पाईरेसी का अर्थ अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकृत स्वामी की लिखित सहमति के बिना वस्तुओं का वर्ग जिनका अभिकल्प (डिज़ाइन) बेचने अथवा ऐसी वस्तुओं के आयात हेतु पंजीकृत किया गया है, इनके अभिकल्प (डिज़ाइन) का अनुप्रयोग अथवा इनकी नकल करना है । अभिकल्प (डिज़ाइन) के अनधिकृत उपयोग करने की जानकारी सहित ऐसी वस्तुओं को प्रकाशित करना अथवा इनको बेचने के नियम एवं शर्तों का परित्याग करना भी अभिकल्प (डिज़ाइन) की पाईरेसी में शामिल है।

प्रश्न. 15. पंजीकृत अभिकल्प (डिज़ाइन) की पाईरेसी की क्या सजा है ?

उत्तरः- यदि कोई अभिकल्प (डिज़ाइन) के कापीराईट का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक अपराध के लिए उत्तरदायी होने के नाते पंजीकृत स्वामी को 25,000/- रू./- तक की राशि अदा करेगा बशर्ते किसी एक अभिकल्प (डिज़ाइन) के संबंध में अधिकतम 50,000/- रू./- की राशि संविदा ऋण के रूप में वसूली की जा सके । पंजीकृत स्वामी ऐसे उल्लंघन के संबंध में मुआवजे की राशि वसूलने तथा इसको दोबारा न होने देने के लिए रोक आदेश के लिए मुकदमा दायर कर सकता है । धारा 22(2) (क) मे किए गए उल्लेख के अनुसार संविदा त्रण के रूप में वसूली की जाने वाली राशि 50,000/- रू./- से अधिक नहीं होगी । उल्लंघन, मुआवजे की वसूली इत्यादि के लिए मुकदमा जिला न्यायाधीश के न्यायालय से नीचे के किसी न्यायालय में दायर नहीं किया जाना चाहिए ।

प्रश्न. 16. ऐसी वस्तु जिसके लिए अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण का आवेदन किया गया है, के मामले में मार्किंग करना अनिवार्य है ?

उत्तरः- जी हां, पंजीकृत स्वामी के लिए वस्तु को मार्क करना हमेशा लाभदायक होगा ताकि वस्तु के अभिकल्प (डिज़ाइन) में मामले को छोड़कर पंजीकृत अभिकल्प (डिज़ाइन) की संख्या को दर्शाया जा सके । अन्यथा पंजीकृत

स्वामी किसी उल्लंघन करने वाले से मुआवजा प्राप्त करने का दावा तब तक नहीं कर सकता जब तक पंजीकृत स्वामी किसी उल्लंघन करने वाले से मुआवजा प्राप्त करने का दावा तब तक नहीं कर सकता जब तक पंजीकृत स्वामी यह साबित ना करे कि उसे वस्तु की मार्किंग करने को सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाए हैं अथवा जब तक पंजीकृत स्वामी यह ना दर्शाए कि उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पहले यह पता हो अथवा उसे अभिकल्प (डिज़ाइन) के कापीराईट के होने के बारे में नोटिस भेजा गया हो ।

प्रश्न. 17. क्या अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है ?

उत्तर:- अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण के पश्चात किसी समय 1500/- रू../- की फीस सहित फार्म 8 में रद्द करने की याचिका दायर करके निम्नलिखित आधार पर रद्द किया जा सकता है :

1) अभिकल्प (डिज़ाइन) को पहले भारत में पंजीकृत किया गया हो अथवा
2) इसके पंजीकरण की तिथि से पहले इसे भारत या किसी अन्य देश में प्रकाशित किया गया हो अथवा
3) अभिकल्प (डिज़ाइन) नया अथवा मूल न हो अथवा
4) अभिकल्प (डिज़ाइन) का पंजीकरण करने लायक न हो अथवा
5) यह धारा 2 के खंड (घ) के अंतर्गत एक अभिकल्प (डिज़ाइन) न हो ।

प्रश्न.18. क्या अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण का आवेदन करने से पहले वस्तु का औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाना अनिवार्य है ?

उत्तर:- जी नहीं, अभिकल्प (डिज़ाइन) का अर्थ औद्योगिक प्रक्रिया अथवा साधन द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तु में अनुप्रयोग की गई संकल्पना, इसके आकार अथवा आकृति संबंधी सुझाव अथवा विचार होता है । उदाहरण के तौर पर एक नई आकृति जो एक पैन पर प्रयुक्त हो सकती है वह पैन को एक नया रूप रंग दे सकती है । यह अनिवार्य नहीं है कि पैन का उत्पादन पहले किया जाए और फिर उसके लिए आवेदन किया जाए ।

प्रश्न.19. अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण के लिए शीघ्रातिशीघ्र आवेदन करना क्यों महत्वपूर्ण है ?

उत्तर:- पहले दर्ज करने वाला (फर्स्ट-टू-फाईल) नियम अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण हेतु लागू होता है । यदि एक जैसे अभिकल्प (डिज़ाइन) के संबंध में भिन्न तारीखों पर दो या अधिक आवेदन दायर किए जाएं तो अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण हेतु पहले आवदेन पर विचार किया जाएगा ।

प्रश्न. 20. क्या पूर्व आवेदन के त्याग किए जाने के बाद वही आवेदक उसी अभिकल्प (डिज़ाइन) के संबंध में पुन: आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ?

उत्तर:- जी हां । वही आवेदक पुन: आवेदन कर सकता है क्योंकि पेटेंट कार्यालय द्वारा त्याग किए गए आवेदन का कोई प्रकाशन नहीं किया है बशर्ते इसी बीच आवेदक अमुक अभिकल्प (डिज़ाइन) को प्रकाशित नहीं करे ।

प्रश्न. 21. अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण के संबंध में सूचना कैसे की जाती है ?

उत्तरः- अभिकल्पों के पंजीकरण के पश्चात वस्तु से संबंधित अन्य ग्रंथसूची आंकड़ों सहित अति संबद्ध विचारों को राजकीय राजपत्र में उल्लिखित किया जाएगा जिसे प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित किया जा रहा है । तथापि अपर्याप्त अवसंरचना के कारण इस स्थिति में ऐसे प्रावधान को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है ।

प्रश्न. 22. क्या स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण संभव है ?

उत्तरः- जी हां, अधिकार का हस्तांतरण कानून के अनुसार लिखित नियम एवं शर्तों सहित अधिन्यास, समझौते, हस्तांतरण के तहत संभव है । तथापि, कुछ प्रतिरोधक शर्तों का अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण की सुरक्षा की विषय वस्तु से संबंधित न होने के कारण इन्हे संविदा/करार इत्यादि के नियम एवं शर्त में शामिल किया जाना चाहिए । हस्तांतरित दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए लाभार्थी द्वारा इसके लागू होने की तारीख के छह महीनों अथवा छह महीनों से कम अवधि के भीतर एक आवेदन 500/- रू./- तथा प्रत्येक अतिरिक्त अभिकल्प (डिज़ाइन) हेतु 200/- रू./- की फीस सहित फार्म 10 में आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है । इस पंजीकरण की जाने वाले साधन की मूल/नोटरीकृत प्रति को आवेदन के साथ संलग्न करना अपेक्षित है ।

प्रश्न. 23. प्राथमिकता दावे का क्या अर्थ है ?

उत्तरः- भारत पेरिस अभिसमय का सहभागी देश है अतः यहां प्राथमिकता अधिकार का प्रावधान लागू होता है । एक करार करने वाले राज्य में पहला नियमित आवेदन दाखिल करने के आधार पर आवेदक छह मास के भीतर अन्य करार करने वाले राज्यों मे सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है तथा अगले आवेदन को पहले आवेदन के दायर करने के दिन ही दायर किया जाना माना जाएगा ।

प्रश्न. 24. निर्धारित समयसीमा में समय बढ़ाने संबंधी शुल्क न देने के कारण विलंबित अभिकल्प (डिज़ाइन) की पुनः प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है ?

उत्तरः- अभिकल्प (डिज़ाइन) का पंजीकरण आगे पांच वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए शुल्क न देने के कारण रद्द हो जाएगा यदि यह शुल्क दस वर्ष की वास्तविक अवधि से पहले अदा नहीं किया जाता है । तथापि अधिनियम में एक नया प्रावधान किया गया है ताकि विलंबित अभिकल्प (डिज़ाइन) को बहाल किया जा सकता बशर्ते निम्नलिखित को पूरा किया जाए :

1) बहाली के आवेदन को 1000/- रू. के शुल्क सहित फार्म-4 में भरकर विलंब होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर भेजा जाए जिसमें समय बढ़ाने का शुल्क देने में बिलंब होने के पर्याप्त कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
2) यदि बहाली हेतु आवेदन को स्वीकृत कर लिया जाए तो स्वामी को 2000/- रू. की समय बढ़ाने संबंधी फीस तथा 1000/- रू. की अतिरिक्त फीस अदा करनी होगी तथा अंततः विलंबित पंजीकरण की बहाली हो जाएगी।

प्रश्न. 25. क्या अभिकल्प (डिज़ाइन) के रजिस्टर में स्वामी का नाम, पता अथवा सेवा स्थान का पता बदला जा सकता है ?

उत्तरः- अभिकल्पों के रजिस्टर में पंजीकृत स्वामी का नाम एवं पता तथा सेवा स्थान का पता बदला जा सकता है बशर्ते स्वामित्व में हस्तांतरण विलेखों अर्थात समनुदेशन, प्रेषण, लाईसेंस करार अथवा किसी कानून के तहत परिवर्तन किया जाए जिसमें प्रश्न.21. के उत्तर का संदर्भ लिया जा सकता है । अभिकल्पों के नियंत्रक को फार्म-22 में भरकर आवेदन 200/- रू. के शुल्क सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें आवेदन के साथ यथापेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए ।

प्रश्न. 26. क्या पंजीकृत अभिकल्पों का सार्वजनिक निरीक्षण किया जा सकता है ?

उत्तरः- जी हां, पंजीकृत अभिकल्प (डिज़ाइन) सार्वजनिक निरीक्षण के लिए राजकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात फार्म-5 में 500/- रू. की निर्धारित फीस अदा करके ही निरीक्षण किया जा सकता है ।

प्रश्न. 27. क्या अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण का आवेदन स्वयं आवेदक द्वारा अथवा एक पेशेवर व्यक्ति के माध्यम से किया जा सकता है ?

उत्तरः- अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण का आवेदन स्वंय आवेदक द्वारा अथवा पेशेवर व्यक्ति (अर्थात पेटेंट ऐजेन्ट, कानूनी अधिवक्ता) के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है । तथापि, भारत के अनिवासी आवेदक को भारत के निवासी ऐजेन्ट को नियुक्त करना आवश्यक है ।

प्रश्न. 28. अभिकल्प (डिज़ाइन) का पंजीकरण करने से अन्य लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग करने से कैसे रोका जाता है ?

उत्तरः- अभिकल्प (डिज़ाइन) का एक बार पंजीकरण किए जाने से अभिकल्प (डिज़ाइन) के अधिकार का उल्लंघन करने वाले लोगों (व्यक्ति/वैधानिक इकाई) के खिलाफ जिला न्यायालय से नीचे वाले न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती है ताकि ऐसे दुरुपयोग को रोका जा सके तथा मुआवजे का दावा किया जा सके जिसके लिए पंजीकृत स्वामी कानूनी हकदार है । तथापि इस पर कृपया ध्यान दिया जाए कि यदि अभिकल्प (डिज़ाइन) अधिनियम 2000 के अंतर्गत अभिकल्प (डिज़ाइन) का पंजीकरण नहीं किया जाता है तो अभिकल्प (डिज़ाइन) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा ।

पेटेंट कार्यालय पंजीकरण से प्राप्त होने वाले अधिकार को लागू करने से संबंधित किसी मुद्दे में शामिल नहीं होता है, इसी तरह पेटेंट कार्यालय पंजीकृत अभिकल्प (डिज़ाइन) के दुरुपयोग अथवा व्यवसायीकरण से संबंधित किसी मुद्दे में शामिल नहीं होता है ।

प्रश्न. 29. 'सेट आफ आर्टिकल' का निर्धारण करने के महत्वपूर्ण मानदंड क्या हैं ?

उत्तरः- यदि वस्तुओं का एक समूह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो अभिकल्प (डिज़ाइन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत इसे 'सेट आफ आर्टीकल' माना जाएगा :

(क) सामान्यत: बिक्री की जाने वाली अथवा साथ में उपयोग की जाने वाली

(ख) सभी का साझा अभिकल्प (डिज़ाइन) हो यद्यपि वस्तुएं अलग हों (समान वर्ग)

(ग) समान आम विशेषताएं

सामान्यत: समान अभिकल्प (डिज़ाइन) की वस्तु का विभिन्न मापों में बेचे जाने को सेट आफ आर्टीकल में नहीं माना जाता है । जिसके व्यवहारिक उदाहरण टी-सेट, पैन सेट, नाईफ सेट इत्यादि हैं ।

प्रश्न. 30. वो कौन से कलात्मक कार्य हैं जो पंजीकरण की विषय वस्तु नहीं माने जाते हैं ?

उत्तर:- कापीराईट अधिनियम 1957 की धारा 2(ग) के अंतर्गत एक कलात्मक कार्य को पंजीकरण की विषय वस्तु न माने जाने को परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार है-
कलात्मक कार्य का अर्थ:-

i. एक पैंटिंग, मूर्ति, उत्कीर्ण की गई चित्रकला (चित्र, मानचित्र, चार्ट अथवा योजना सहित) अथवा फोटो, ऐसे कार्य की कलात्मक गुणवत्ता हो या ना हो
ii. वास्तु-शिल्प का कार्य तथा
iii. कलात्मक शिल्प से संबंधित कोई अन्य कार्य ।

प्रश्न. 31. तीसरी अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के वर्गीकरण से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर:- अभिकल्प (डिज़ाइन) नियम, 2001 की तीसरी अनुसूची में वस्तुओं के वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है । यह वर्गीकरण लॉकैर्नो समझौते पर आधारित है । एक आवेदन में केवल एक वर्ग सं. दी जानी चाहिए । यह नियमों के अंतर्गत अनिवार्य है । उन वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है जिन पर अभिकल्प (डिज़ाइन) का अनुप्रयोग किया गया है ।

व्यवहारिक उदाहरण- यदि एक टुथब्रश का अभिकल्प (डिज़ाइन) तैयार किया गया है तो इसे वर्ग 04-02 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा । इसी तरह यदि कैल्कूलेटर का डिजाईन किया जाएगा तो इसे 18-01 वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा । तदुपंरात उस स्वामी द्वारा उसी वस्तु अथवा उसी वर्ग की किसी वस्तु पर अनुप्रयोग किए जाने वाले उसी अभिकल्प (डिज़ाइन) के संबंध मे आवेदन किया जाना संभव है परंतु पंजीकरण की अवधि पूर्व के अभिकल्प (डिज़ाइन) के पंजीकरण अवधि तक ही वैध होगी ।

प्रश्न. 32. भारतीय दंड संहिता (धारा 479) के तहत संपत्ति चिह्न का क्या अर्थ है ?

उत्तर:- किसी व्यक्ति से संबंधित चल संपत्ति को चिह्नित करने वाले चिह्न को संपत्ति चिह्न कहा जाता है । इसका अभिप्राय किसी चल संपत्ति अथवा वस्तु अथवा किसी पैकेज अथवा वस्तुओं को रखने वाले आवरण, किसी मामले में पैकेज अथवा आवरण के इस्तेमाल करने को चिह्नित करने से है ।

व्यवहारिक उदाहरण- भारतीय रेलवे द्वारा सामानों पर इनके स्वामी द्वारा आसानी से अभिज्ञात किए जाने के उद्देश्य हेतु लगाए जाने वाले चिह्न को संपत्ति-चिह्न कहा जाता है ।

ट्रेड मार्क

सामान्यत : पूछे जाने वाले प्रश्न

1. ट्रेड मार्क क्या होता है ?

आम आदमी की भाषा में ट्रेड मार्क (जिसे ब्रांड नाम के रूप में जाना जाता है) किसी उद्योग द्वारा वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा अन्य वाणिज्यिक वस्तु को किसी दूसरे उद्योग की समान वस्तुओं अथवा सेवाओं से अलग दर्शाने के लिए उन पर प्रयोग किए जाने वाला दृश्य चिह्न होता है जो एक शब्द, हस्ताक्षर, नाम, यंत्र, लेबल, अंक अथवा रंगों का संयोजन हो सकता है ।

इस अधिनियम के तहत एक ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए विधायी अनिवार्यताएं हैं :

- चयनित चिह्न चित्र रूप में दर्शाए जाने में सक्षम होना चाहिए (अर्थात् कागज पर) ।
- यह एक उद्योग की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्योग की वस्तुओं और सेवाओं से अलग दर्शाने में सक्षम होना चाहिए ।
- यह चिह्न दर्शाए जाने के उद्देश्य से वस्तुओं अथवा सेवाओं के संबंध में अथवा वस्तुओं या सेवाओं के बीच व्यापार के दौरान एक संबंध दर्शाने और किसी व्यक्ति के पास उसकी पहचान प्रदर्शित करके अथवा प्रदर्शित न करते हुए उस चिह्न का प्रयोग करने का अधिकार है, यह दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए ।

2. ट्रेक मार्क का चयन कैसे किया जाए ?

- यदि यह एक शब्द है तो यह बोलने, अक्षरों ओर याद रखने में आसान होना चाहिए ।
- आविष्कृत शब्द अथवा गढ़े गए शब्द सर्वश्रेष्ठ ट्रेडमार्क होते हैं ।
- कृपया भौगोलिक नाम का प्रयोग करने से बचें । इन पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता ।
- प्रशंसात्मक शब्दों अथवा वस्तुओं की गुणवत्ता बताने वाले शब्दों (जैसे सर्वश्रेष्ठ, एकदम सही, बेहतरीन आदि) के प्रयोग से बचें ।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि समान/सदृश्य चिह्न बाजार में प्रयोग तो नहीं किया जा रहा, एक बाजार सर्वेक्षण करवाने की सलाह दी जाती है ।

3. एक ट्रेड मार्क का क्या उपयोग होता है ?

आधुनिक व्यापार स्थिति के अंतर्गत एक ट्रेड मार्क के चार कार्य होते हैं

- यह वस्तुओं/अथवा सेवाओं की पहचान ओर इनके निर्माण के स्थान की पहचान देता है।
- यह इसकी गुणवत्ता बनी रहने की गारंटी देता है ।
- यह वस्तुओं/सेवाओं का विज्ञापन करता है ।
- यह वस्तुओं/सेवाओं की छवि बनाता है ।

4. ट्रेड मार्क के लिए कौन आवेदन कर सकता है और कैसे ?

प्रयोग किए जाने वाले अथवा प्रयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित ट्रेड मार्क का स्वामी होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए निर्धारित पद्धति से लिखित में आवेदन कर सकता है । आवेदन में ट्रेड मार्क, वस्तुएं/सेवाएं, आवेदक का नाम एवं पता और एजेन्ट (यदि कोई हो) के साथ मुख्तारनामा, चिह्न का प्रयोग किए जाने की अवधि और हस्ताक्षर होने चाहिए । आवेदन अंग्रेजी अथवा हिन्दी में होना चाहिए । यह उचित कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए ।

5. विशेष वस्तुओं अथवा सेवाओं के संबंध में ट्रेडमार्क हेतु आवेदन कैसे किया जाए ?

ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 में यह प्रावधान किया गया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार किया जाता है । वर्तमान में अधिनियम की अनुसूची IV में विभिन्न वर्गों में आने वाली ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची का ब्यौरा दिया गया है जो केवल निर्देशात्मक है । कोई विशेष वस्तु अथवा सेवा किस श्रेणी में आएगी, इसका अंतिम रूप से निर्धारण करने का अधिकार रजिस्ट्रार को है । इस अधिनियम की अनुसूची IV, ट्रेड मार्क पर इस प्रश्नोत्तर के अंत में अनुलग्नक के रूप में दी गई है । अन्य वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विवरण के लिए कृपया डब्ल्यूआईपीओ द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का संदर्भ लें अथवा सहायता हेतु स्थानीय कार्यालय से संपर्क करें ।

6. उपलब्ध ट्रेड मार्कों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं ?

- कोई नाम (आवेदक अथवा उस कार्य में पूर्ववर्ती का नाम अथवा उपनाम अथवा उस व्यक्ति के हस्ताक्षर), जो उस व्यापार के लिए चिह्न के रूप में अपनाए जाने हेतु असामान्य न हो ।

- एक आविष्कृत शब्द अथवा एक मनचाहा शब्दकोश शब्द जो वस्तुओं/सेवाओं की प्रकृति अथवा गुणवत्ता का सीधे तौर पर विवरण न प्रस्तुत करता हो ।
- अक्षर अथवा अंक अथवा उनका मिश्रण
- एक ट्रेड मार्क का स्वामित्व या तो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रयोग पंजीकरण करवा कर अथवा वस्तु या सेवा विशेष के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है ।
- रंग-बिरंगे यंत्रों अथवा चिह्नों के साथ-साथ यंत्र
- मोनोग्राम
- रंगों का संयोजन अथवा एक शब्द या यंत्र के साथ एक रंग का संयोजन
- वस्तुओं का आकार अथवा उनकी पैकिंग
- एक त्रि-आयामी चिह्न वाला मार्क
- जब परंपरागत स्वरलिपि में प्रस्तुत किया जाए अथवा चित्र रूप में प्रस्तुत करके शब्दों में विवरण दिया जाए, तो स्वर चिह्न ।

7. ट्रेड मार्क प्रणाली का क्या उद्देश्य है ?

- यह वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक भौतिक मूल स्रोत की पहचान बताता है । ब्रांड अपने आप में प्रमाणिकता की मोहर होती हे ।
- यह वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल स्रोत की पहचान की गांरटी देता है ।
- यह उस वस्तु को और खरीदने के लिए प्रेरित करता है ।
- यह निष्ठा एवं संबंध के बैज का कार्य करता है ।
- यह उपभोक्ता को एक जीवन-शैली अथवा फैशन स्टेटमेंट बनाने में सक्षम बना सकता है ।

8. एक ट्रेड मार्क का लाभ किसे होता है ?

पंजीकृत स्वामी : एक ट्रेड मार्क का पंजीकृत स्वामी अन्य व्यापारियों को उसके ट्रेड मार्क को गैर-कानूनी उपयोग करने से रोक सकता है, नुकसान के लिए वाद दायर कर सकता है और वस्तुओं अथवा लेबल को नष्ट किए जाने अथवा अतिक्रमण किए जाने से सुरक्षित रख सकता है ।

सरकार: चालू वर्ष के दौरान ट्रेड मार्क के पंजीकरण से लगभग 40 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है और यह लगातार बढ़ रहा है ।

विधि पेशेवर: ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रणाली पेशेवरों और कानूनी और अर्द्ध कानूनी सलाहकारों (ऐजेन्टों) द्वारा प्रचालित की जाती है जो ट्रेड मार्क के आवेदन के प्रक्रियान्वयन में ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं ।

ट्रेड मार्क वाली वस्तुओं और सेवाओं के **खरीददार** और अंत में उनके **उपभोक्ता** ।

9. एक ट्रेडमार्क के पंजीकरण के क्या फायदे हैं ?

एक ट्रेडमार्क के पंजीयन से स्वामी को पंजीकृत ट्रेडमार्क का प्रयोग करने का विशेष अधिकार प्राप्त हो जाता है और इसे जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए मार्क पंजीकृत है, उनके संबंध में चिह्न (R) का प्रयोग करके दर्शाया जाता है और मार्क का स्वामी देश के उपयुक्त न्यायालयों में उल्लंघन से राहत की मांग कर सकता है । तथापि विशिष्ट अधिकार रजिस्टर में दर्ज की गई शर्तों के अधीन होगा जैसे प्रयोग के क्षेत्र की सीमा आदि । जहां दो अथवा अधिक व्यक्तियों ने विशेष परिस्थितियों में एक जैसे दिखने वाले अथवा लगभग एक समान मार्क पंजीकृत करवा लिए हैं वहां ऐसे विशिष्ट अधिकार एक दूसरे के विरूद्ध कार्य नहीं करेंगे ।

10. ट्रेडमार्क के बड़े लेन देन के लिए क्या औपचारिकता और सरकारी शुल्क है ?

उत्तर:

- ✓ नए आवेदन करने के लिए आवेदन की प्रकृति पर निर्भर करते हुए निर्धारित आवेदन पत्र हैं जैसे फॉर्म टीएम-1, टीएम-2, टीएम-3, टीएम-8, टीएम-51 आदि ।
  शुल्क : 2,500/- रूपए
- ✓ ट्रेडमार्क पत्रिका में प्रकाशित आवेदन के विरूद्ध विरोध का नोटिस दायर करना
  (फॉर्म टीएम-5) । शुल्क : 2,500/- रूपए
- ✓ पंजीकृत ट्रेडमार्क के नवीकरण के लिए **(फॉर्म टीएम-12) । शुल्क: 5,000/- रूपए**
- ✓ विलंबित नवीकरण के लिए अधिभार **(फॉर्म-10) । शुल्क: 3,000/-रूपए**
- ✓ हटाए गए मार्क को पुन: प्राप्त करना **(फॉर्म टीएम-13) । शुल्क: 5,000/- रूपए**
- ✓ पंजीकृत ट्रेडमार्क में सुधार के लिए आवेदन **(फॉर्म टीएम-26) । शुल्क : 3,000/- रूपए**
- ✓ विधायी प्रमाण-पत्र (फॉर्म टीएम- 46) (रजिस्टर में प्रविष्टियों का ब्यौरा देना) **शुल्क: 500/- रूपए**
- ✓ खोजने के लिए अधिकारिक अनुरोध **(फॉर्म टीएम-54) । शुल्क : 500/- रूपए**

- ✓ एक मार्क के रजिस्टर किए जाने हेतु पात्र होने के संबंध में रजिस्ट्रार की प्रारंभिक सलाह **(फॉर्म टीएम-55) । शुल्क : 500/-रूपए**
- ✓ कॉपीराइट ढूंढने का अनुरोध और प्रमाण-पत्र जारी किया जाना **(फॉर्म-60) । शुल्क : 5,000/- रूपए**

11. ट्रेडमार्क कानून के स्रोत क्या हैं ?

उत्तर: (1) राष्ट्रीय संविधि अर्थात् ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत दिए गए नियम ।
(2) अंतर्राष्ट्रीय बहुस्तरीय सम्मेलन ।
(3) राष्ट्रीय द्विपक्षीय संधि ।
(4) क्षेत्रीय संधि ।
(5) न्यायालयों के निर्णय ।
(6) कार्यालय पद्धति एवं निर्णय
(7) बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का निर्णय
(8) शिक्षाविदों एवं पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तकें ।

12. ट्रेडमार्क के रजिस्टर में क्या दिया गया है ?

उत्तर: वर्तमान में इलैक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाने वाले ट्रेडमार्क के रजिस्टर में अन्य बातों के साथ-साथ जिस संबंध में वस्तुओं/सेवाओं का पंजीकरण किया गया है उसका ट्रेड मार्क एवं श्रेणी के साथ दिए गए अधिकारों के पंजीकरण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाला ब्यौरा ; स्वामियों के पते ; व्यापार का विवरण अथवा स्वामी का अन्य विवरण ; आवेदन की दिनांक (यदि लागू हो) ; जहां किसी पूर्व मार्क अथवा पूर्व अधिकारों के स्वामी की सहमति से एक ट्रेडमार्क पंजीकृत किया गया है, उसका ब्यौरा ।

13. क्या आवेदन अथवा रजिस्टर में कोई सुधार किया जा सकता है ?

उत्तर: हां । परन्तु मूल सिद्धांत यह है कि जिस ट्रेड मार्क के लिए आवेदन किया गया है उसमें अधिक परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जिससे उसकी पहचान प्रभावित हो । इस शर्त के अधीन अधीनस्थ कानून में दिए गए नियमों के अनुसार परिवर्तन स्वीकार्य हैं ।

14. क्या एक पंजीकृत ट्रेडमार्क को रजिस्टर से हटाया जा सकता है ?

हां । इसे मार्क के रजिस्टर में गलत रूप से रखे रहने के आधार पर निर्धारित फॉर्म में रजिस्ट्रार को आवेदन करके हटाया जा सकता है । रजिस्ट्रार अपने आप भी पंजीकृत ट्रेडमार्क को हटाने के लिए नोटिस जारी कर सकता है ।

भौगोलिक संकेत पंजीकरण

सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

1. भौगोलिक संकेत क्या होता है ?
   - यह एक संकेत होता है ।
   - इसका मूल एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है ।
   - इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक अथवा निर्मित वस्तुओं को पहचानने में किया जाता है ।
   - ये निर्मित वस्तुएं उस क्षेत्र में उत्पादित अथवा संसाधित अथवा तैयार की जाती हों ।
   - इसमें एक विशेष गुणवत्ता अथवा प्रतिष्ठा अथवा अन्य विशेषताएं होनी चाहिए ।
2. संभव भारतीय भौगोलिक संकेतों के उदाहरण । बासमती चावल दार्जीलिंग चाय
   - कांचीपुरम सिल्क साड़ी
   - अल्फांसो आम
   - नागपुरी संतरा
   - कोल्हापुरी चप्पल
   - बीकानेरी भुजिया
   - आगरे का पेठा
3. भौगोलिक संकतों के पंजीकरण का क्या लाभ है ?
   - यह भारत में भौगोलिक संकतों को कानूनी सुरक्षा देता है
   - अन्य व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनाधिकृत प्रयोग से रोकता है
   - यह भारतीय भौगोलिक संकेतों को कानूनी सुरक्षा देता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है
   - इससे एक भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है ।
4. भौगोलिक संकेत के पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
   - व्यक्तियों का कोई संघ, उत्पादक, संगठन अथवा विधि के अंतर्गत स्थापित कोई प्राधिकरण आवेदन कर सकता है :
   - आवेदक अनिवार्य रूप से उत्पादकों के हित का प्रतिनिधित्व करे
   - आवेदन निर्धारित प्रारूप में लिखित में किया जाना चाहिए
   - आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ भौगोलिक संकेतों के रजिस्ट्रार को भेजा जाना चाहिए
5. एक भौगोलिक संकेत का पंजीकृत स्वामी कौन होता है ?
   - व्यक्तियों का कोई संघ, उत्पादक, संगठन अथवा विधि के अंतर्गत स्थापित कोई प्राधिकरण एक पंजीकृत स्वामी हो सकता है ।

- उनका नाम भौगोलिक संकेत के रजिस्टर में आवेदन किए गए भौगोलिक संकेत के लिए पंजीकृत स्वामी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए ।

6. एक अधिकृत प्रयोक्ता कौन होता है ?
   - वस्तुओं का उत्पादक एक अधिकृत प्रयोक्ता के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है ।
   - यह एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत के संबंध में होना चाहिए ।
   - उसे निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में लिखित में आवेदन करना चाहिए ।
7. एक भौगोलिक संकेत के संबंध में उत्पादक कौन होता है ?
   - उत्पादन शब्द के तहत शामिल की गई वस्तुओं की तीन श्रेणियों से संबंधित व्यक्ति :
   - कृषि वस्तुओं में उत्पादन, संसाधन, व्यापर अथवा लेन-देन शामिल है
   - प्राकृतिक वस्तुओं में अन्वेषण, व्यापार अथवा लेन-देन शामिल है
   - हस्तशिल्प अथवा औद्योगिक वस्तुओं में बनाना, निर्माण, व्यापार अथवा लेन-देन शामिल है
   - क्या भौगोलिक संकेत का पंजीकरण अनिवार्य है और इससे आवेदक को किस प्रकार सहायता मिलती है ?
8. पंजीकरण अनिवार्य नहीं है ।
   - पंजीकरण से उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई में सहायता हेतु बेहतर कानूनी सुरक्षा मिलती है
   - पंजीकृत स्वामी और अधिकृत प्रयोक्ता, उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई कर सकते हैं ।
   - अधिकृत प्रयोक्ता के पास भौगोलिक संकेत का प्रयोग करने का विशेष अधिकार होता है।
9. पंजीकृत भौगोलिक संकेत का प्रयोग कौन कर सकता है ?
   - एक अधिकृत प्रयोक्ता के पास उन वस्तुओं, जिनके संबंध में भौगोलिक संकेत पंजीकृत है, के संबंध में इसका प्रयोग करने का विशेष अधिकार होता है ।
10. भौगोलिक संकेत का पंजीकरण कितने समय तक वैध होता है ?
    - एक भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है ।
11. क्या एक भौगोलिक संकेत का नवीकरण कराया जा सकता है ?
    - समय- समय पर 10 वर्ष की अवधि के लिए इसका नवीकरण कराया जा सकता है ।
12. यदि एक भौगोलिक संकेत का नवीकरण नहीं कराया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होता है ?
    - यदि एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत का नवीकरण नहीं कराया जाता तो इसे रजिस्टर से हटाया जा सकता है ।
13. कब तक पंजीकृत भौगोलिक संकेत का उल्लंघन होना माना जाएगा ?

- जब तक अनधिकृत प्रयोक्ता एक भौगोलिक संकेत का प्रयोग करता है जो दर्शाता है कि ऐसी वस्तुओं का मूल स्रोत इसके सही स्थान के बजाय कोई और भौगोलिक क्षेत्र है और इस प्रकार इससे जनता ऐसी वस्तुओं के भौगोलिक मूल स्रोत के संबंध में भ्रमित होती है ।
- जब भौगोलिक संकेत के प्रयोग के कारण पंजीकृत भौगोलिक संकेत से ध्यान हटाने के प्रयास सहित अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है ।
- जब किसी अन्य भौगोलिक संकेत के प्रयोग से जनता को गलत सूचना मिलती है कि जिन वस्तुओं से एक पंजीकृत भौगोलित संकेत संबंधित है वे वस्तुएं एक विशेष क्षेत्र से निकलती हैं ।

14. उल्लंघन हेतु कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है ?
    - पंजीकृत भौगोलिक संकेत का पंजीकृत स्वामी अथवा अधिकृत प्रयोक्ता उल्लंघन हेतु कार्रवाई शुरू कर सकता है ।
15. क्या एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत किसी को दिया जा सकता है, अंतरित किया जा सकता है ?
    - नहीं । एक भौगोलिक संकेत सार्वजनिक संपत्ति होती है जिस पर संबंधित वस्तुओं के निर्माताओं का हक होता है ।
    - यह सौंपे जाने, अंतरण, लाइसेंस देने, जमानत देने , गिरवी रखने अथवा ऐसे किसी अनुबंध का विषय नहीं है ।
    - तथापि जब तक अधिकृत प्रयोक्ता की मृत्यु हो जाती है उसके अधिकार उसके उत्तराधिकारी को मिल जाते हैं ।
16. क्या एक पंजीकृत भौगोलिक संकेत अथवा एक पंजीकृत अधिकृत प्रयोक्ता को रजिस्टर से हटाया जा सकता है ?
    - हां । भौगोलिक संकेतों के अपीलीय बोर्ड अथवा रजिस्ट्रार के पास भौगोलिक संकेत अथवा एक अधिकृत प्रयोक्ता को रजिस्टर से हटाने की शक्ति होती है । इसके अतिरिक्त एक पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर कार्रवाई की जा सकती है ।
17. एक भौगोलिक संकेत ट्रेडमार्क से कैसे अलग होता है ?
    - एक ट्रेडमार्क एक चिह्न होता है जिसका प्रयोग व्यापार के दौरान किया जाता है और यह एक उद्यम की वस्तुओं अथवा सेवाओं को दूसरे उद्यमी की वस्तुओं और सेवाओं से अलग दर्शाता है ।
    - जबकि एक भौगोलिक संकेत एक संकेत होता है जिसका प्रयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से निकलने वाली विशेष गुणों वाली वस्तुओं की पहचान हेतु किया जाता है ।